भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/ 2451		जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2020

पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं अभियुक्तों की अनुपलब्धता के कारण न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलंब से बचने के लिए, प्रकरणों की सुनवाई के साथ–साथ न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ साक्षियों के साक्ष्य के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए एक उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य विधियों की अति आवश्यकता है। त्वरित विचारण एवं त्वरित न्याय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक अच्छा साधन है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी एकीकृत वेब तकनीक होगी जो साक्षियों, अभियुक्तों और अन्य पणधारियों की इंटरनेट/इंट्रानेट, वर्चुअल प्रायवेट नेटवर्क (VPN) में निर्बाध रूप से चलने में सक्षम होगी।

अतएव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227, सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 एवं दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से संबंधित अभ्यास एवं प्रक्रिया को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

नियम
अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना एवं प्रारम्भ .–**

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज रूल्स, 2020" है।

(दो) ये नियम न्यायालयों पर लागू होंगे।

(तीन) ये नियम शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचना की दिनांक से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं .–**

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,–

(क) **"अधिवक्ता"** से अभिप्रेत और सम्मिलित है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन संधारित किसी रोल में दर्ज अधिवक्ता एवं इसमें शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजन के विभाग के अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे;

(ख) **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अथवा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अधीन आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ग) **"समन्वयक"** से अभिप्रेत है नियम 5 के अधीन समन्वयक के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(घ) **"न्यायालय"** से अभिप्रेत है 'व्यवहार न्यायालय' जो कि व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किये गये है, आपराधिक न्यायालय जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय के अतिरिक्त) में परिभाषित किया गया है, किसी विशेष अधिनियम के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य किशोर न्याय बोर्ड और इसमें भौतिक न्यायालय एवं आभासी न्यायालय अथवा अधिकरण सम्मिलित हैं;

(ड.) **"न्यायालय बिन्दु"** से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष अथवा एवं अथवा अधिक स्थान जहाँ कि न्यायालय भौतिक रूप से आयोजित की जाती है, अथवा वह स्थान जहाँ कोई आयुक्त अथवा कोई जांचकर्ता अधिकारी, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करता है;

(च) **"न्यायालय कक्ष"** से अभिप्रेत है वह स्थान अथवा कक्ष अथवा बंद स्थान जहाँ न्यायाधीश के समक्ष विधि को न्यायालय आयोजित किया जाता है;

(छ) **"न्यायालय उपयोगकर्ता"** से अभिप्रेत है न्यायालय बिंदु पर वीडियो कॉन्फ्रेंरिंग के माध्यम से न्यायालय प्रक्रिया में भाग लेने वाले उपयोगकर्ता एवं इसमें न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश भी सम्मिलित है;

(ज) **"नामविर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर"** से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर ;

(झ) **"इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख"** का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन समनुदेशित है ;

(ञ) **"आपवादिक परिस्थिति"** में सम्मिलित है महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ, जो प्रभावी न्याय प्रशासन के लिए समीचीन हैं तथा अन्य मामले जो अधिवक्ताओं, अभियुक्तों, साक्षियों अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित हैं, जिनकी उपस्थिति न्यायालय में अपेक्षित है एवं इसमें ऐसी घटना एवं परिस्थिति सम्मिलित हैं जिसे न्यायालय द्वारा "आपवादिक परिस्थिति" घोषित किया जाए;

(ट) **"सीधी लिंक"** से अभिप्रेत है व उसमें सम्मिलित है लाइव टेलीविजन लिंक, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन अथवा अन्य व्यवस्थाएं जिनके द्वारा कोई साक्षी, कोई अभियुक्त, पक्षकार, प्लीडर, अधिवक्ता(गण) अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसका न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना अपेक्षित है, न्यायालय कक्ष से भौतिक रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी साक्ष्य देने एवं प्रति परीक्षण किए जाने अथवा तर्क प्रस्तुत करने अथवा न्यायालय की सहायता करने अथवा किसी

न्यायिक प्रक्रिया में किसी अन्य प्रयोजनार्थ तकनीक का प्रयोग करते हुए सुदूर संचार के द्वारा, आभासी रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहता है;

(ठ) **"संस्थागत दूरस्थ बिंदु"** से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष अथवा न्यायालय प्रक्षेत्र में एक या अधिक वे स्थान जहाँ से न्यायालय बिंदु के साथ दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज को सुगम बनाने के लिए दूरस्थ बिंदु स्थापित किया जाता है;

(ड) **"दूरस्थ बिंदु"** वह स्थान जहाँ किसी व्यक्ति अथवा किन्ही व्यक्तियों का किसी वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित अथवा उपसंजात होना अपेक्षित है;

(ढ) **"दूरस्थ उपयोगकर्ता"** से किसी दूरस्थ बिंदु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेने वाला उपयोगकर्ता अभिप्रेत है;

(ण) **"अपेक्षित व्यक्ति"** में सम्मिलित है:

(एक) कोई व्यक्ति जिसे साक्षी के रूप में अथवा अन्यथा परीक्षण किया जाना है; अथवा

(दो) कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में किन्हीं कार्यवाहियों को अभिलेखित अथवा संचालित किया जाना है; अथवा

(तीन) कोई अधिवक्ता अथवा स्वयं कोई पक्षकार जो साक्षी का परीक्षण करने का आशय रखता है; अथवा

(चार) कोई व्यक्ति जिसका न्यायालय के समक्ष कथन करना अपेक्षित हो; अथवा

(पांच) अन्य कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है;

(त) **"नियम"** से अभिप्रेत है न्यायालय हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये नियम एवं किसी नियम, उप–नियम अथवा अनुसूची का संदर्भ इन नियमों के नियम, उप–नियम अथवा अनुसूची से संदर्भित होगा;

(थ) **"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग"** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है श्रृव्य एवं दृश्य डाटा पारेषित करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्कों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्थानों पर दो या अधिक सहभागियों के मध्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।

(2) शब्द व वाक्यांश जो उपयोग किए गए है परन्तु यहां परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961; नियम व आदेश (दाण्डिक); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है।

अध्याय दो
सामान्य सिद्धांत

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों को शासित करने वाले सिद्धांत.–

(क) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज की सुविधा का प्रयोग, न्यायिक कार्यवाहियों एवं न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों के उन सभी स्तरों पर किया जा सकता है जहाँ उपस्थित अथवा उपसंजात होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति राज्यान्तरिक, अन्तर्राज्यीय के बाहर अथवा विदेश में है।

(ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के द्वारा न्यायालय द्वारा संचालित समस्त कार्यवाहियाँ, न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी एवं भौतिक न्यायालय पर लागू समस्त शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल इन आभासी कार्यवाहियों में लागू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संचालित कार्यवाहियों के लिए **अनुसूची–एक** में दिए गए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961; नियम व आदेश (दाण्डिक); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसमें इसके पश्चात् व्य.प्र.स. कहा जाएगा), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसमें इसके पश्चात् इसे द.प्र.स. कहा जाएगा), न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसमें इसके पश्चात् इसे साक्ष्य अधिनियम में संक्षिप्त किया गया है), एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसमें इसके पश्चात् इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के रूप में संक्षिप्त किया गया है) के प्रावधानों सहित न्यायिक प्रक्रिया को लागू होने वाले किन्तु उन तक ही सीमित नहीं रहने वाले सभी सुसंगत वैधानिक प्रावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संचालित प्रक्रियाओं पर लागू होंगे।

(घ) न्यायिक कार्यवाहियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता बनाए रखने के अधीन, एवं ऐसे आदेशों के अधीन जैसा कि मुख्य न्यायापूर्ति जारी करें, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य–श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से कार्यवाहियों के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी विकसित तकनीक को अंगीकार कर सकता है जो समय–समय पर उपलब्ध हों।

(ड.) न्यायालय को लागू होने वाले ये नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त एवं जाँच करने वाले जाँच अधिकारी पर लागू होंगे।

(च) जब तक अभिव्यक्त रूप से अनुमति ना दी जाए, कोई भी व्यक्ति अथवा इकाई, न्यायालय बिन्दु अथवा संस्थागत दूरस्थ बिन्दु अथवा दूरस्थ बिन्दु में

से किसी भी बिन्दु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य-श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संचालित की गई कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। उल्लंघन की दशा में यह विधि अनुसार दण्डनीय होगा।

(छ) नियम 2(1)(ण) में परिभाषित व्यक्ति व्यक्तिगत ई-मेल के द्वारा न्यायालय बिन्दु समन्वयक को, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता पहचान प्रमाण उपलब्ध कराएगा। पहचान प्रमाण तत्काल उपलबध नहीं होने की दशा में संबंधित व्यक्ति निम्न व्यक्तिगत जानकारी नाम, माता-पिता का नाम, स्थाई पता, अस्थाई पता, यदि कोई हो, न्यायालय के आदेशानुसार उपलब्ध करवाएगा। तथापि, संतुष्ट होने पर, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पहचान प्रमाण प्रस्तुत किए बिना भी कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

4. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनुशंसित सुविधाएं.–**

न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यवाहियों के संचालन हेतु निम्नलिखित उपस्कर की अनुशंसा की जाती है :

(एक) अबाधित इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाईल डिवाईस एवं प्रिंटर ;

(दो) अबाधित पावर सप्लाई सुनिश्चित करने वाली डिवाईस;

(तीन) वीडियो कैमरा;

(चार) माईक्रोफोन एवं स्पीकर;

(पांच) डिस्प्ले यूनिट;

(छह) डॉक्यूमेंट विजुअलाईजर;

(सात) फायरवॉल का प्रावधान;

(आठ) एकांतता सुनिश्चित करने हेतु बैठक व्यवस्था;

(नौ) पर्याप्त प्रकाश ;

(दस) शांत एवं सुरक्षित स्थान की उपलब्धता, एवं

(ग्यारह) स्केनर जिसमें मोबाईल स्केनर भी शामिल है।

5. **प्रारंभिक व्यवस्थाएं .–**

(1) न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु जहाँ से अपेक्षित व्यक्ति परीक्षित किया जाना है, अथवा सुना जाना है अथवा उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है, दोनों ही स्थानों पर एक समन्वयक होगा। तथापि, समन्वयक दूरस्थ बिन्दु पर केवल तभी अपेक्षित किया जा सकता है जब किसी साक्षी अथवा किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को परीक्षित किया जाना है।

(2) उन समस्त दीवानी एवं दाण्डिक न्यायालयों में, उच्च न्यायालय अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश, जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित दीवानी अथवा

दाण्डिक न्यायालय हैं, द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) में उपबंधित न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयकों का कार्य करेंगे।

(3) निम्न में से कोई भी दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक हो सकता है:

खण्ड	जहां अधिवक्ता अथवा अपेक्षित व्यक्ति निम्नलिखित दूरस्थ बिन्दु पर हो	दूरस्थ बिन्दु समन्वयक होगा
(क)	विदेश	भारतीय वाणिज्य दूतावास/संबंधित भारतीय दूतावास/भारत का संबंधित उच्चायोग का पदधारी/ सम्यक् रूप से प्रमाणित नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त
(ख)	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अन्य राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश का न्यायालय	संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत पदधारी
(ग)	मध्यस्थता केन्द्र अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समिति सहित) का कार्यालय	संबंधित जिला विधिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत पदधारी
(घ)	जेल अथवा कारागार	संबंधित जेल अधीक्षक अथवा कारागार का प्रभारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई जिम्मेदार पदधारी
(ङ)	चिकित्सालय, सार्वजनिक अथवा निजी (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित)	चिकित्सा अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदधारी अथवा उक्त चिकित्सालय का प्रभार प्राप्त कोई व्यक्ति
(च)	संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह, अथवा बाल सुविधा के रूप में संदर्भित कोई संस्थान (सामूहिक रूप से बाल सुविधा के रूप में संदर्भित) एवं जहां अपेक्षित व्यक्ति एक किशोर अथवा बालक अथवा अथवा ऐसे बाल सुविधा का एक अंतःवासी हो	बाल सुविधा का अधीक्षक अथवा बाल सुविधा का प्रभारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदधारी
(छ)	महिला कल्याण गृह, सुरक्षा गृह, आश्रय गृह, नारी निकेतन या नारी सुविधा से संदर्भित कोई संस्था(सामूहिक रूप से नारी सुविधाओं रूप में संदर्भित)	उस नारी सुविधा का अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(ज)	किसी अन्य शासकीय कार्यालय, संगठन या संस्था की अभिरक्षा, देखरेख या नियोजन में (सामूहिक रूप से संस्थागत सुविधाओं के रूप में संदर्भित)	संस्थागत सुविधा का अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी

(झ)	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	प्रशासनिक कार्यालय प्रभारी अथवा उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति
(ञ)	किसी अन्य व्यक्ति की दशा में	संबंधित न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, जिसे वह उचित एवं उपयुक्त समझता है और जो समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए सहमत एवं तत्पर हो और यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाहियाँ न्यायोचित, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से तथा न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है।

(4) जब अपेक्षित व्यक्ति उप–नियम (3) में उल्लिखित दूरस्थ बिन्दुओं में से किसी में उपस्थित है और इनमें से किसी भी स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तब संबंधित न्यायालय, उस प्रमुख जिला न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में वह दूरस्थ बिन्दु स्थित है, से समन्वयक की नियुक्ति एवं निकटवर्ती स्थान एवं उपयुक्त न्यायालय परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने का औपचारिक निवेदन कर सकेगा।

(5) न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु दोनों पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम 4 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, जिससे कार्यवाहियाँ निर्बाध रूप से संचालित हों।

(6) दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निर्दिष्ट दूरस्थ बिन्दु पर विशिष्ट कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु अपेक्षित सभी अधिवक्ता तथा/या अपेक्षित व्यक्ति अधिसूचित समय से कम से कम 30 मिनिट पूर्व तैयार रहें;

(ख) कोई भी अनाधिकृत रिकार्डिंग उपकरण का प्रयोग न किया जाए;

(ग) जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो तब कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में प्रवेश न करें;

(घ) परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाया, सिखाया, फुसलाया, उत्प्रेरित या विवश न किया जाए एवं परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति, परीक्षण के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, किसी दस्तावेज, आलेख या उपकरण को संदर्भित न करें।

(7) जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किया जाने वाला साक्षी यह अपेक्षा करे या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शेड्यूल निश्चित करते हुए समुचित अग्रिम सूचना देगा तथा उपयुक्त प्रकरणों में कार्यवाहियों के अभिलेख के सभी या किसी भाग की, गैर संपादन योग्य डिजिटल स्कैन्ड प्रतियों को, उपनियम (3) के अनुसार पदाभिहित संबंधित दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक के कार्यालयीन ई–मेल खाते में पारेषित कर सकेगा।

(8) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अधिसूचित दिनांक के पूर्व, न्यायालय केन्द्र पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थागत दूरस्थ बिन्दु या दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक को प्रमाणित प्रतियाँ, प्रिंट आउट या कार्यवाहियों के अभिलेख के सभी या किसी ऐसे भाग की गैर संपादन योग्य डिजिटल स्कैन्ड प्रतियों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त हो गई है, जो कि कथनों या साक्ष्य के रिकॉर्डिंग हेतु अथवा संदर्भ के लिए अपेक्षित हो सकती है। तथापि, अपेक्षित व्यक्ति इनका उपयोग केवल न्यायालय की अनुज्ञा से कर सकेगा।

(9) जहाँ अपेक्षित व्यक्ति किसी ऐसे स्थान से संयोजित किया जाता है जो दूरस्थ बिन्दु नहीं है अथवा जब दूरस्थ बिन्दु पर कोई समन्वयक उपलब्ध नहीं है तब न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित व्यक्ति को पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित सभी प्रतियाँ प्राप्त हो जाएँ।

(10) जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यायालय दूरस्थ बिन्दु या न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक को निम्नलिखित उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करेगा—

(क) अनुवादक, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति न्यायालय की आधिकारिक भाषा से परिचित न हो;

(ख) संकेत भाषाओं का विशेषज्ञ, जहाँ परीक्षित किया जाने वाले व्यक्ति को भाषण एवं/अथवा श्रवण में विकृति हो;

(ग) दुभाषिया अथवा कोई विशेष शिक्षक, यथास्थिति, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति या तो स्थायी/अथवा अस्थायी रूप से दिव्याँग है;

(घ) दस्तावेजों को पढ़ने हेतु कोई व्यक्ति, जहाँ परीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति दृष्टिबाधित हो।

अध्याय तीन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रक्रिया

6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थिति, साक्ष्य एवं प्रस्तुतिकरण के लिए आवेदन.—

(1) जहाँ कार्यवाहियाँ न्यायालय अथवा लोक अभियोजक की प्रेरणा से आरंभ की जाती है, को छोड़कर, कार्यवाही से संबंधित कोई पक्षकार अथवा साक्षी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निवेदन कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही की मांग करने वाला पक्षकार अथवा साक्षी, अनुसूची—दो में विहित प्ररूप में अनुरोध कर ऐसा कर सकेगा।

(2) दीवानी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये किये गये अनुरोध के किसी प्रस्ताव के संबंध में सर्वप्रथम कार्यवाही से संबंधित अन्य पक्षकार अथवा पक्षकारों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिये, सिवाय उस स्थिति में जहाँ संभव नहीं है अथवा अनुपयुक्त है, उदाहरण के लिये अत्यावश्यक आवेदनों जैसे प्रकरणों में। तथापि, न्यायालय स्वविवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

एवं श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए प्रकिया प्रारंभ कर सकता है।

(3) ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर एवं सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनने पर एवं यह जाँचने के पश्चात् कि आवेदन निष्पक्ष विचारण को बाधित करने अथवा कार्यवाहियों में विलंब करने के आशय से प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(4) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये अनुमति देते समय न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन के लिये शेड्यूल को भी तय कर सकता है।

(5) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौखिक तर्क करने के लिये आयोजित की जाती है तो न्यायालय, अधिवक्ता अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षकार से लिखित तर्क एवं नज़ीर, यदि कोई हो तो, अग्रिम रूप से संबंधित न्यायालय की कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(6) व्यय, यदि भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित किया गया है, को निर्धारित समय के अंदर जमा किया जायेगा जिसकी गणना उस दिनांक से प्रारंभ होगी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियाँ आयोजित करने का आदेश प्राप्त होता है।

7. **समन की तामील.—**

साक्षी जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किया जाना हो, को जारी समन में दिनांक, समय एवं संबंधित दूरस्थ बिंदु के स्थान को उल्लेखित करेंगे एवं साक्षी को पहचान के सबूत अथवा उस प्रभाव के शपथ पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होने के लिये निर्देशित करेंगे। ऐसे समन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तामील किये जा सकते हैं। तथापि, समन की तामील से संबंधित विद्यमान नियम एवं अनुपस्थिति के परिणाम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कार्यवाहियों से संबंधित समन की तामील पर लागू होंगे, जैसा कि सि.प्र.स. एवं द.प्र.स. में उपबंधित किया गया है।

8. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से व्यक्तियों का परीक्षण .—**

(1) साक्षी सहित, कोई व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जा रहा हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने के पूर्व भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अथवा उचित रूप से मान्यता प्राप्त पहचान के दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण द्वारा पहचान का सबूत प्रस्तुत एवं संस्थित करेगा अथवा ऐसे दस्तावेज के अभाव में यथास्थिति, सि.प्र.स की धारा 139 अथवा द.प्र.स. की धारा 297, में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही शपथ–पत्र पर यह कथन करेगा कि वह व्यक्ति जिसे कार्यवाहियों में पक्षकार अथवा साक्षी के रूप में दर्शाया जाना है, वही व्यक्ति है जिसे आभासी सुनवाई में अभिसाक्ष्य देना

है। यथास्थिति, पहचान के सबूत अथवा शपथपत्र, की एक प्रति विरोधी पक्षकार को उपलब्ध कराई जायेगी:

परन्तु यह कि उपनियम (1) में यथा अपेक्षित पहचान के सबूत के अभाव में उपस्थित अथवा उपसंजात होने के लिये अपेक्षित व्यक्ति के पहचान की पुष्टि न्यायालय द्वारा दूरस्थ बिंदु के समन्वयक की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों के समय की जायेगी।

(2) व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जा रहा है, का परीक्षण सामान्यतः संबंधित न्यायालय की कार्यावधि के दौरान अथवा ऐसे किसी समय में जैसा न्यायालय उचित समझे, किया जायेगा। व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जा रहा हो को, न्यायालय बिंदु पर समन्वयक द्वारा शपथ दिलायी जायेगी।

(3) जहां व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जाना हो अथवा अभियुक्त को उपस्थित होना हो, अभिरक्षा में हैं, तो यथास्थिति, कथन अथवा साक्ष्य, यथास्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है। न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पूर्व एवं पश्चात् विचाराधीन कैदी को उसके अधिवक्ता से परामर्श करने के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा।

(4) साक्ष्य अधिनियम में साक्षियों के परीक्षण हेतु निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, साक्षी के परीक्षण के पूर्व, दस्तावेज, यदि कोई हो, जिस पर विश्वास किया जाना चाहा गया हो, को आवेदक द्वारा साक्षी को पारेषित किया जायेगा, ताकि साक्षी उक्त दस्तावेजों से परिचित हो जाये। आवेदक इस संबंध में न्यायालय में एक पावती प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट दस्तावेज के संदर्भ में परीक्षित किया जाना है, तो आवश्यक रूप से दस्तावेज की सम्यक् रूप से प्रमाणित छायाप्रति, साक्षी को जारी समन के साथ संलग्न होनी चाहिये। मूल दस्तावेज को संबंधित व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जा रहा है, के अभिसाक्ष्य के अनुसार न्यायालय बिन्दु पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

(6) न्यायालय अपनी इच्छानुसार, परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति के आचरण को अभिलिखित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(7) न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के अभिसाक्ष्य के दौरान उठाई गई आपत्तियों को अभिलिखित करेगी एवं उस पर निर्णय लेगी।

(8) एक बार परीक्षण समाप्त होने के पश्चात्, न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर अनुलिपि पर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित अनुलिपि न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख का भाग होगा। परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति का अनुलिपि पर हस्ताक्षर निम्न में से किसी एक प्रकार से प्राप्त किया जायेगा :-

(क) यदि डिजिटल हस्ताक्षर संबंधित न्यायालय बिंदु एवं दूरस्थ बिंदु दोनों स्थानों में उपलब्ध है, तो न्यायालय बिन्दु पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुलिपि की इलेक्ट्रॉनिक प्रति

अधिकारिक ई–मेल द्वारा दूरस्थ बिंदु पर भेजी जायेगी, जहाँ उसका एक प्रिंट आउट निकाला जायेगा एवं परीक्षित किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुलिपि की स्कैन की हुई प्रति को न्यायालय बिन्दु पर अधिकारिक ई–मेल द्वारा पारेषित किया जायेगा। परिसाक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् हस्ताक्षरित अनुलिपि की कागजी प्रति दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा न्यायालय बिन्दु को मान्यता प्राप्त कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा अधिमानतः तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जायेगी।

(ख) यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है तो अनुलिपि का प्रिंट आउट पीठासीन न्यायाधीश एवं पक्षकारों के प्रतिनिधियों के द्वारा, यदि कोई हो, न्यायालय बिन्दु पर हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं गैर–संपादनीय स्कैन किये हुए प्रारूप में दूरस्थ बिंदु के अधिकारिक ई–मेल खाते में भेजा जायेगा, जहाँ उसका एक प्रिंटआउट निकाला जायेगा एवं दूरस्थ बिन्दु पर परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित अनुलिपि का गैर–संपादनीय स्कैन किया हुए प्रारूप को दूरस्थ बिन्दु के आधिकारिक ई–मेल खाते में भेजा जायेगा, जहाँ उसका प्रिंटआउट निकाला जायेगा और उसे न्यायालयीन अभिलेख का भाग बनाया जाएगा। कागज़ी प्रति भी दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा न्यायालय बिन्दु को मान्यता प्राप्त कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के द्वारा अधिमानतः तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जायेगी।

(9) साक्षियों के परीक्षण की दृश्य–श्रव्य रिकॉर्डिंग कोर्ट बिन्दु पर तैयार की जाएगी। हैश वैल्यू के साथ एनक्रिप्टेड मास्टर प्रति अभिलेख के भाग के रूप में प्रतिधारित की जाएगी।

(10) न्यायालय, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के निवेदन पर या स्वयमेव, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम् हितों का ध्यान रखते हुए, उस व्यक्ति की निजता की सुरक्षा हेतु उसकी आयु, लिंग, शारीरिक दशा तथा मान्य प्रथाओं एवं रीतियों जैसे पहलुओं का ध्यान रखते हुए समुचित उपायों को करने का निर्देश दे सकता है।

(11) दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ बिन्दु पर परीक्षण किए जाने वाला व्यक्ति तथा उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनकी उपस्थिति समन्वयक द्वारा प्रशासनिक रूप से कार्यवाही के संचालन हेतु आवश्यक समझी जाती है,, कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है।

(12) न्यायालय साक्ष्य के प्रभावी रिकार्डिंग हेतु (विशेषतः नियम 5 (ध) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु) ऐसी अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है जो तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हों।

(13) परीक्षण, यथासंभव, व्यवधान रहित एवं अनावश्यक स्थगन को स्वीकार किए बिना जारी रखे जाएंगे। यद्यपि, न्यायालय अथवा आयुक्त, यथास्थिति, यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि क्या स्थगन ग्राह्य किया जाए, और यदि किया जाए , तो किन शर्तो पर ।

(14) किसी व्यक्ति का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण करते समय न्यायालय, सि.प्र.सं. तथा अध्याय XXIII भाग–ब, दं.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना तकनीकी अधिनियम के उपबंधों से मार्गदर्शित होगा।

(15) जहाँ अपेक्षित व्यक्ति न्यायालय बिन्दु अथवा संस्थागत दूरस्थ बिन्दु तक बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण पहुँचने में असमर्थ है अथवा उसकी उपस्थिति असम्यक् विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, तब न्यायालय उस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन को प्राधिकृत कर सकता है जहाँ ऐसा व्यक्ति अवस्थित है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय वहनीय (पोर्टेबल) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के प्रयोग हेतु निर्देशित कर सकता है। इस संबंध में प्राधिकार संबंधित समन्वयक और/या अन्य व्यक्ति को, जिसे न्यायालय उपयुक्त समझे, दिया जा सकता है।

   (क) यदि न्यायालय उपयुक्त समझे, तो अपेक्षित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उसके निवास या कार्य के स्थान से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य–श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के अन्य विधियों के माध्यम से जुड़ने हेतु अनुज्ञात कर सकता है।

(16) न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, यदि कोई पक्षकार या पक्षकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिसाक्ष्य के रिकॉर्डिंग के समय संस्थागत दूरस्थ बिन्दु पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का इच्छुक है, ऐसा पक्षकार दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थिति/प्रतिनिधित्व हेतु स्वयं की व्यवस्था करेगा।

(17) जहाँ अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की यह राय है कि साक्षी का साक्ष्य दस्तावेज/दस्तावेजों को दिखाए बिना प्रभावी रूप से अभिलिखित नहीं किया जा सकता, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे साक्षी के परीक्षण से इंकार कर सकता है।

9. दूरस्थ बिन्दु पर किसी साक्षी या अभियुक्त को दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाना या दिखाया जाना –

यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित व्यक्ति के परीक्षण के दौरान, उस व्यक्ति को दस्तावेज दिखाना आवश्यक हो, तो न्यायालय निम्नलिखित विधि द्वारा दस्तावेज का दिखाया जाना अनुज्ञात कर सकता है.–

(1) यदि दस्तावेज न्यायालय बिन्दु पर हो, तो उस दस्तावेज की छायाप्रति या छवि दूरस्थ बिन्दु पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ई–मेल सहित, पारेषित करने के द्वारा और तत्पश्चात् दूरस्थ बिन्दु पर उसका प्रिंट आउट लेकर;

(2) यदि दस्तावेज दूरस्थ बिन्दु पर हो, तो उसकी एक प्रति (गैर संपादन योग्य)/छायाप्रति, ई–मेल सहित, न्यायालय केन्द्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के द्वारा। दस्तावेज की हार्ड कॉपी, साक्षी तथा दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राधिकृत कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायालय बिन्दु को पारेषित की जाएगी।

10. **निर्बाधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सुनिश्चित किया जाना.–**

(1) अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश में वर्णित दिनांक व समय पर विनिर्दिष्ट दूरस्थ बिन्दु से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायालय को संबोधित करेगा।

(2) यदि कार्यवाही किसी दूरस्थ बिन्दु/बिन्दुओं से की जा रही है (नियम 5(3)(क) से 5(3)(झ) में वर्णित परिस्थितियों में) तो ऐसे दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। तथापि, यदि कार्यवाहियाँ नियम 5 (3) (ञ) के अंतर्गत वर्णित परिस्थिति में आने वाले किसी दूरस्थ बिन्दु से संचालित की जा रही है, जैसे कि किसी अधिवक्ता के कार्यालय से, तब न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन हेतु सभी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन को न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु दोनों स्थानों पर सुनिश्चित करेगा।

(3) न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक संबंधित अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति के संपर्क में रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल सुनवाई के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनका मार्गदर्शन करेगा। ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को आने वाली किन्हीं समस्याओं का निराकरण न्यायालय बिन्दु समन्वयक द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही न्यायालय बिन्दु समन्वयक ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का लिंक भी साझा करेगा।

(4) न्यायालय बिंदु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ उपयोगकर्ता द्वारा ई–मेल किया गया कोई दस्तावेज या दृश्य श्रृव्य फाइल न्यायालय बिन्दु पर सम्यक रूप से प्राप्त हो गई है।

(5) न्यायालय बिन्दु पर समन्वयक, शेड्यूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिमानतः 30 मिनिट पूर्व, यह सुनिश्चित करने हेतु कि न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु पर सभी तकनीकी प्रणाली कार्य करने की स्थिति में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परीक्षण का संचालन भी करेगा।

(6) शेड्यूल समय पर, न्यायालय बिन्दु समन्वयक दूरस्थ उपयोगकर्ता को न्यायालय से संयोजित करेगा।

(7) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही की समाप्ति पर, न्यायालय आदेश पत्रिका में यह उल्लेख करेगा कि प्रकरण का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

(8) न्यायालय दूरस्थ उपयोगकर्ताओं तथा न्यायालय उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए, ध्वनि तथा संयोजन (कनेक्टिविटी) की स्पष्टता के बारे में अपनी संतुष्टि भी अभिलिखित करेगा।

(9) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समाप्ति पर, यदि किसी दूरस्थ उपयोगकर्ता का यह मत है कि खराब दृश्य एवं/या श्रृव्य गुणवत्ता के कारण वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, तो दूरस्थ उपयोगकर्ता तुरंत न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक को सूचना देगा, जो इस सूचना को अविलम्ब न्यायालय को संसूचित करेगा। न्यायालय ऐसी शिकायत पर विचार करेगा और यदि वह शिकायत में कोई सार पाता है तो सुनवाई को अपूर्ण घोषित कर सकता है तथा पक्षकारों को पुनः संयोजित करने या न्यायालय में भौतिक उपस्थिति करने के लिए कह सकता है।

अभियुक्त तथा साक्षियों का परीक्षण.–

(1) न्यायालय, स्वविवेक से, किसी अभियुक्त का निरोध (प्रथम न्यायिक अभिरक्षा तथा पुलिस अभिरक्षा को छोड़कर) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क की अन्य दृश्य-श्रृव्य विधियों एवं माध्यमों द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायालय लिखित कारण दर्शित करते हुए तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि साक्षी या अभियुक्त, जैसी स्थिति हो, किसी भी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या असम्यक प्रभाव से मुक्त है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी साक्षी का परीक्षण कर सकता है या दाण्डिक विचारण में आरोप विरचित कर सकता है या दं.प्र.सं. की धारा–164 के अंतर्गत किसी साक्षी का परीक्षण कर सकता है या दं.प्र.सं. की धारा–313 के अंतर्गत किसी अभियुक्त का कथन अभिलेखित कर सकता है।

(3) सौदा अभिवाक् मामलों में ऐसा अभियुक्त, जो पूर्व से दोष सिद्ध नहीं है, के आवेदन पर, न्यायालय स्वविवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित के साथ अभियुक्त की बैठक की व्यवस्था कर सकता है। न्यायालय संबंधित पक्षकारों के अभिभाषकगण को बैठक में भाग लेने का अवसर प्रदान कर सकता है। जहाँ, बैठक के पश्चात् प्रकरण का संतोषजनक निराकरण संभावित है, न्यायालय इस तथ्य को अभिलेखित करेगा तथा अपने स्वविवेक से विधि अनुसार सौदा अभिवाक के आधार पर प्रकरण का निराकरण करेगा।

अध्याय चार
सामान्य प्रक्रिया

12. **सामान्य प्रक्रियाएँ.—**

(1) इस अध्याय में, इसके पश्चात् दर्शित प्रक्रिया, इन नियमों में अन्यथा रूप से उपदर्शित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशिष्ट उदाहरणों के रूप में हैं, जिसमें कार्यवाहियां वीडियो कॉन्फ्रेंरिंग के माध्यम से संचालित की जाती है।

(2) न्यायालय बिंदु पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल स्वीकृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाए। तथापि, किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कारण दर्शित करते हुए, उस विशेष कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्वेयर के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे सकता है।

(3) न्यायालय द्वारा संस्थागत दूरस्थ बिंदु के समन्वयक की सहायता से, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नियम 8 (1) एवं/अथवा नियम 8 (1) (क) के अनुसार साक्ष्य अभिलेखित किए जाते समय की जाएगी तथा उसे न्यायालय की आदेश पत्रिका में भी दर्शित किया जायेगा।

(4) सिविल प्रकरणों में, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के कथनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलेखित करने का अनुरोध करने वाले पक्षकारगण, न्यायालय को, तय समय एवं स्थान पर उक्त व्यक्ति की अवस्थिति, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किए जाने की इच्छा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा।

(5) आपराधिक प्रकरणों में, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति अभियोजन साक्षी है या न्यायालय साक्षी है या व्यक्ति जिसे अभियोजन हेतु कथन प्रस्तुत करना है, या जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति बचाव साक्षी है अथवा व्यक्ति जिसे बचाव हेतु कथन प्रस्तुत करना है, यथास्थित अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अथवा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अथवा अभियुक्त, न्यायालय को, तय समय एवं स्थान पर उक्त व्यक्ति की अवस्थिति, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किए जाने की इच्छा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा।

(6) जहाँ परीक्षित किया जाने वाला अथवा उपस्थित होने व्यक्ति अभियुक्त है, अभियोजन/बचाव पक्ष के अधिवक्ता दूरस्थ बिंदु पर अभियुक्त की अवस्थिति की पुष्टि करेंगें।

(7) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है एवं न्यायालय बिंदु पर उपस्थित नहीं है, तो साक्षी के कथन (चिकित्सकीय अथवा अन्य विशेषज्ञ) के अभिलेखन को सुगम बनाने के लिए न्यायालय स्वयं, साक्षी एवं अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त के मध्य बहु स्थलीय (मल्टी पॉइंट) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आदेश करेगा। न्यायालय

यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त के बचाव पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा नियम 8(3) में निहित सुरक्षा उपायों का पालन हो।

(8) जब भी आवश्यकता हो, दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक को मानदेय के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परामर्श से निर्देशित किया जाता है।

13. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खर्चे.–**

संबंधित न्यायालय द्वारा विहित नियमों के अभाव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खर्चो को निर्धारित एवं/अथवा बॉंटते समय न्यायालय निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रख सकता है :

(1) आपराधिक प्रकरणों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के खर्चे जिनमें न्यायालय अभिलेख की साफ्ट प्रतियॉं/प्रमाणित प्रतियॉं तैयार करने एवं उन्हें दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक तक प्रेषित करने में अंतर्निहित खर्चे शामिल है एवं अनुवादक/द्विभाषिया/विशेष शिक्षक, यथास्थित को देय शुल्क एवं दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक को देय शुल्क, ऐसे पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा न्यायालय निर्देशित करे।

(2) सिविल प्रकरणों, सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने का निवेदन करने वाला पक्षकार खर्च वहन करेगा।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, परिवादी एवं साक्षियों को खर्चे का भुगतान करने से संबंधित नियम/अनुदेश, जो समय–समय पर प्रचलित हों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय समुचित खर्चो के संबंध में भी आदेश दे सकता है।

(4) न्यायालय समुचित परिस्थिति में वांछित खर्चों को माफ कर सकेगा।

14. **कार्यवाही का संचालन.–**

(1) सभी अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति, पक्षकार स्वयं एवं/अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे शारीरिक अथवा आभासिक रूप में उपस्थित रहने की न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है (एतस्मिनपश्चात् सामूहिक रूप से प्रतिभागियों के रूप में संदर्भित), **अनुसूची–एक** में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

(2) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आरंभ से पहले सभी प्रतिभागी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे। तथापि, यदि कोई पक्षकार अपना चेहरा एवं नाम छिपाने का इच्छुक है तो उक्त की जानकारी न्यायालय बिन्दु समन्वयक को कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व दी जाएगी।

(3) न्यायालय बिंदु समन्वयक, लिंक/बैठक आई.डी./कक्ष विवरण संबंधित अधिवक्ता अथवा अपेक्षित व्यक्ति अन्य प्रतिभागी, जिन्हें न्यायालय द्वारा आभासिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, के द्वारा उपलब्ध

कराई गई ई-मेल आई.डी./मोबाईल नं. के माध्यम से भेजेगा। एक बार कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात्, किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को, न्यायालय की अनुमति के सिवाय, आभासिक सुनवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) सुनवाई में शामिल होने के पश्चात् प्रतिभागी आभारी प्रतीक्षा कक्ष (वर्चुअल लॉबी), यदि उपलब्ध हो तो, में रहेंगे जब तक कि उन्हें न्यायालय बिन्दु समन्वयक द्वारा आभासिक सुनवाई में दाखिल नहीं किया जाता।

(5) कार्यवाही में भागीदारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकार्ड की जाने वाली कार्यवाहियों में, भागीदारी की सहमति माना जाएगा।

(6) न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु के मध्य लिंक की स्थापना एवं विच्छेद न्यायालय के आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(7) न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ऐसे अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति अथवा अन्य कोई प्रतिभागी, जिन्हें दूरस्थ बिन्दु अथवा न्यायालय बिन्दु पर न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया गया है, को स्पष्ट रूप से देखा एवं सुना जा सकता है तथा वह न्यायालय को स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता है।

(8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्बाध रूप से संचालित की जा सके, संयोजन में अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों, यदि कोई हो, को न्यायालय बिन्दु समन्वयक के कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर, जो प्रतिभागी को आभासी सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व में दिए गए हैं, पर यथाशीघ्र न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए। तत्पश्चात् किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) न्यायालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहाँ कहीं कोई कार्यवाही की जाती है, इस तथ्य का विशेष रूप से आदेश पत्रिका में उल्लेखित किया जाएगा।

15. **विधिक सहायता क्लिनिक/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत तक पहुँच.—**

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं प्रवृत्त विधियों के अनुरूप, विधिक सहायता क्लिनिक, शिविर, लोक अदालत अथवा जेल अदालत से संबंधित कार्यवाहियों में दूरस्थ बिन्दु पर, यदि कोई व्यक्ति जेल अथवा कारागार में है, तो विधि के अनुसार कोई पंचाट अथवा आदेश पारित करने के पूर्व उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा लोक अदालतों के सदस्यों के द्वारा परीक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसे पंचाट अथवा आदेश का वही प्रभाव होगा जैसे कि वह नियमित लोक अदालत अथवा जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।

(3) पंचाट अथवा आदेश की प्रति एवं कार्यवाही का अभिलेख दूरस्थ बिन्दु पर भेजा जाएगा।

16. **प्रकरण के तृतीय पक्षकार .–**

(1) तृतीय पक्षकारों को संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेश पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अपनी प्रशासनिक अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों से प्रत्येक न्यायालय मार्गदर्शित होगा।

(2) जहाँ, किसी कारणवश, प्रकरण से असंबद्ध कोई व्यक्ति दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित है, तो कार्यवाही के प्रारंभ में ही दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी एवं उस व्यक्ति की उपस्थिति के उद्देश्य से न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। ऐसा व्यक्ति, केवल न्यायालय के आदेश के आधीन ही, उपस्थित रहना जारी रख पायेगा।

अध्याय पांच
विविध

17. **शिथिल करने की शक्ति.–**

मुख्य न्यायाधिपति यदि इस बात से संतुष्ट हों कि किसी नियम के प्रवर्तन से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वे आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को उस सीमा तक एवं उन शर्तों के अधीन त्याग कर सकते हैं अथवा शिथिल कर सकते हैं, जो कि न्यायसंगत एवं न्यायोचित रीति से मामले के निपटने के लिए अपेक्षित है।

18. **निरसन एवं व्यावृति.–**

इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2018 एवं दिशानिर्देश, यदि कोई हों, जो इन नियमों के अनुरूप हैं,

उन्हें इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित एवं निरस्त, जैसी भी स्थिति हो, किया जाता है:

परन्तु यह कि इन निरसित नियमों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश अथवा की गई कार्यवाही को इन नियमों के अनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत दिया गया या की गई कार्यवाही माना जाएगा।

19. **अवशिष्ट उपबंध.—**

वे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं किया गया हैं, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाएँगे।

अनुसूची—एक

1. सभी प्रतिभागी कार्यवाहियों की गरिमा के अनुरूप सौम्य पोशाक पहनेंगे। अधिवक्तागण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित पेशेवर पोशाक उचित रूप से पहनेंगे। पुलिस पदधारीगण, संबंधित कानून अथवा आदेशों के अधीन, पुलिस पदधारीगण के लिए निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे। न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालय के कर्मचारियों के लिए पोशाक वह होगी जैसा उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित संबंधित नियमों में विनिर्दिष्ट की गई है। ड्रेस कोड के संबंध में पीठासीन न्यायाधीश अथवा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2. प्रकरण की सुनवाई के संबंध में पुकार लगाई जायेगी एवं न्यायालय के निर्देश पर उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

3. प्रत्येक प्रतिभागी उन शिष्टाचारों एवं प्रोटोकॉल का पालन करेगा जिनका भौतिक न्यायालय में पालन किया जाता है। न्यायाधीशों को "महोदया/महोदय" अथवा "न्यायाधीश महोदय" के रूप में संबोधित किया जायेगा। कर्मचारियों को उनके पदनाम जैसे कि "रीडर/एग्जीक्यूशन क्लर्क/कोर्ट मास्टर/स्टेनोग्राफर/डिपोजिशन राइटर" के रूप में संबोधित किया जाएगा। अधिवक्तागण को विद्वान अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में संबोधित किया जायेगा।

4. अधिवक्तागण, अपेक्षित व्यक्ति, व्यक्तिगण पक्षकारगण एवं अन्य प्रतिभागी उस समय तक अपने माईक्रोफोन्स को मूक (Mute) रखेंगे जब तक उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नहीं बुलाया जाता है।

5. दूरस्थ उपयोगकर्तागण यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपकरण मॉलवेयर (Malware) से मुक्त हैं।

6. दूरस्थ उपयोगकर्तागण एवं दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरस्थ बिन्दु शोर रहित स्थान पर स्थित हो व उचित रूप से सुरक्षित हो एवं वहाँ पर्याप्त इन्टरनेट विस्तार हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यदि कोई अवांछनीय व्यवधान कारित होता है तो पीठासीन न्यायाधीश कार्यवाहियों को शून्य करने का निर्देश दे सकता है।

7. कार्यवाहियों के दौरान सभी प्रतिभागियों के मोबाइल फोन बंद रहेंगे अथवा एयर–प्लेन मोड में रहेंगे।

8. कार्यवाहियों दौरान सभी प्रतिभागियों को कैमरा में देखने का प्रयास करना चाहिये, सचेत रहना चाहिये एवं अन्य गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिये।

अनुसूची–दो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध प्रपत्र

1. प्रारण क्रमांक/सीएनआर नम्बर (यदि कोई हो): ....
2. वाद शीर्षक: ....
3. कॉन्फ्रेंसिंग की प्रस्तावित तिथि (दिन/माह/वर्ष): ....
4. न्यायालय बिन्दु (बिन्दुओं) का स्थान: ....
5. दूरस्थ बिन्दु (बिन्दुओं) का स्थान: ....
6. दूरस्थ बिन्दु के प्रतिभागियों का नाम एवं पद: ....
7. वीडियो कॉन्फ्रेंस का कारण: ....
..........के मामले में।
8. कार्यवाहियों की प्रकृति : अंतिम सुनवाई ☐ अंतरिम सुनवाई ☐ अन्य ☐

मैंने न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के प्रावधानों (हाईपरलिंक) को पढ़ एवं समझ लिया है। जहां तक वे मुझ पर लागू होते हैं, मैं उनसे बंधे रहने का वचन देता हूँ। यदि न्यायालय ऐसा निर्देशित करती है, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रभार का भुगतान करने को सहमत हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक:

न्यायालय बिन्दु समन्वयक के प्रयोग के लिए

(क) न्यायालय का नाम :
(ख) सुनवाई :
....(दिन/माह/वर्ष): में की गई
आरंभ समय :
समाप्ति समय :
घंटो की संख्या :
(ग) खर्च :
विदेश पारेषण प्रभार यदि कोई हो :
आवेदक/ प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जाने वाला :
समान रूप से देय :
न्यायालय के आदेश द्वारा माफ किया गया :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :
दिनांक :

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश

No. A-2451

With intent to avoid delay in judicial proceeding due to non-availability of parties, counsels, witnesses and accused, there is an urgent need for a user-friendly video conferencing facility and other modes of audio-visual electronic linkage for the purpose of hearing of the cases as well as recording of evidence of witnesses unable to attend the Court. The information technology is a good tool for speedy trial and speedy justice.

The video conferencing will be an integrated web technology capable of running seamlessly over Internet/Intranet, Virtual Private Network (VPN) of witness, accused and other stakeholders.

Therefore, in exercise of the powers, conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 and Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following rules regulating practice and procedure pertaining to use of video conferencing for District Courts of Madhya Pradesh, namely:-

RULES
Chapter I
Preliminary

1. Short title, Application and Commencement.-

(i) These Rules shall be called the "The District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing and Audio-Visual Electronic Linkage Rules, 2020".